

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम, जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

2011 में वकील वादी दाखिल नहीं। वकील वादी एवं
वादी स्वयं को रुक रुक कर आवाजे
लगवाए गइए। परंतु दाखिल न होने के कारण
वकील वादी की अदालत खरी न भेदक
केस में वाद पत्र मौजूदा घुस में दाखिल
नियम लागू है। पत्रावली फाइल में सुनप
दोकर जारी इफ्तार है।

वाइसे सुनाया गया

(H)

